

डिकी मुकदमा इक्टदाई
(ओ 20 रूल 6-7 जाक्ता दीवानी)
अज अदालत उप जिला कलक्टर टोडाभीम
पीठासीन अधिकारी:- दुर्गा प्रसाद मीना आर.ए.एस
उनवान

देवेन्द्र कुमार पुत्र श्याम बिहारी जाति ब्राह्मण निवासी डौरावली तहसील टोडाभीम।

वादी

बनाम

1. पिन्दू पुत्र धसीडया
2. राधेश्याम पुत्र धसीडया
3. रतन पुत्र बंशी
4. रामहरि पुत्र बंशी
5. हरिसिंह पुत्र बंशी
6. घनश्याम पुत्र लोहडे
समस्त जातियान मीना निवासी डौरावली तहसील टोडाभीम।
7. सतदेव पुत्र रामस्वरूप जाति ब्राह्मण निवासी डौरावली तहसील टोडाभीम।
8. तहसीलदार टोडाभीम जिला करौली।

प्रतिवादी

दावा बावत बेदखली ख0न0 1269/1496 रकवा 0.10 है0
ग्राम डौरावली अन्तर्गत धारा 183 एवं स्थायी निषेधाज्ञा
राज0 टि0 एक्ट एवं 128 लै0रे0ए0


मु0न0 119/2020

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबई श्री सुरेश चन्द शर्मा एडवोकेट,
मिनकानिब गुदई रूबरू हमारे मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है
व डिकी दी जाती है। कि

अतः दावा आंशिक डिकी किया जाता है कि तहसीलदार टोडाभीम ग्राम डौरावली की
आराजी ख0न0 1269/1496/0.10 है0 किस्म गै0मु0रास्ते का सीमाज्ञान कर पत्थर गढी करावे।
प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि ग्राम डौरावली की आराजीयात
ख0न0 1256/0.25, 1258/0.50, 1259/0.50, 1260/0.50, 1261/0.34, है0 मे वादी के कब्जे
काश्त मे किसी प्रकार मजाहमत मदाखलत नहीं करे। आराजी ख0न0 1269/1496/0.10 है0
किस्म गै0मु0रास्ता सार्वजनिक उपयोग मे रहेगा।

निज.....मुबलिंग.....बावत.....खर्चा इस मुकदमे के मय शूद
वशरह.....फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक.....अदा करे।

बसव मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 01.03.2021 को जारी की गई।


(दुर्गा प्रसाद मीना)
उपखण्ड अधिकारी टोडाभीम
जिला-करौली

मुदई	रूपया	पैसे	मुदायला	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकाल नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सवूत			महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमीशनर		
फीस कमीशनर			वावत इजराय हुक्मनामा		
वयत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					